बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)
तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014
संख्या FC-269

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 15, दिनांक– 13/03/2020

विषय – नालंदा जिलान्तर्गत गंगा जल उद्‌वह योजना के तहत गिरियक अंचल के मौजा घोडा कटोरा में पेय जलापूर्त्ति के लिये Reservoir के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 36.04252 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक नालंदा जिलान्तर्गत गंगा जल उद्‌वह योजना के तहत गिरियक अंचल के मौजा घोडा कटोरा में पेय जलापूर्त्ति के लिये Reservoir के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 36.04252 हे० वन भूमि अपयोजन के लिये कार्यपालक अभियन्ता, सिंचाई प्रमंडल, बिहारशरीफ का प्रस्ताव वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना के माध्यम से भाग–II एवं भाग–III में प्रविष्टि उपरान्त प्राप्त हुआ है।

2. उक्त परियोजना का निर्माण नालंदा जिलान्तर्गत जलापूर्त्ति व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण करने के उदेश्य से किया जाना है।

3. वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा द्वारा अपने स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में **परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली कुल 36.04252 हे० भूमि की विवरणी निम्न प्रकार से अंकित की गयी है–**

क्रम सं०	भूमि की विवरणी	अपयोजित होने वाली भूमि का प्रस्तावित रकवा	
		एकड़ में	हेक्टेयर में
1	अधिसूचित वन भूमि (अधिसूचना संख्या/वन भूमि/12/82/3266 दिनांक 02.09.1983) Notified Forest land	66.233	26.81478
2	खतियान में जंगल झाड़ी अंकित स्वत्व प्रकृति, गैर मजरूआ मालिक जमीन (Gairmazarua Malik Land Having nature of Jungle Jhar in survey khatiyan)	16.493	6.67713
3	खतियान में जंगल झाड़ी अंकित स्वत्व प्रकृति, रैयती जमीन (Rayati Land Having nature of Jugle-Jhar in survey Khatiyan)	6.3	2.55061
	कुल	**89.025**	**36.04252**

4. इसी प्रकार वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा द्वारा अपने स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में परियोजना निर्माण में प्रभावित होने वाली वृक्षों की विवरणी निम्न प्रकार से अंकित की गयी है–

क्रम सं.	परियोजना का नाम	भूमि का प्रकार	रकबा (हे० में)	वृक्षों की संख्या		
				Translocate	Cut	Total
1	गंगा जल उद्वह योजना के तहत गिरियक अंचल के मौजा घोड़ा कटोरा में पेय जलापूर्त्ति के लिये Reservoir के निर्माण	अधिसूचित वन भूमि (अधिसूचना संख्या/वन भूमि/12/82/3266 दिनांक 02.09.1983) Notified Forest land	26.81478	27	27	54
		खतियान में जंगल झाड़ी अंकित स्वत्व प्रकृति, गैर मजरुआ मालिक जमीन (Gairmazarua Malik Land Having nature of Jungle Jhar in survey khatiyan)	6.67713	51	175	226
		कुल	**33.49191**	**78**	**202**	**280**

5. उपर्युक्त के अतिरिक्त वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि खतियान में जंगल झाड़ी अंकित स्वत्व प्रकृति, रैयती जमीन 2.55061 हे० भूमि का मुआवजा देने की प्रक्रिया में रहने के कारण संयुक्त निरीक्षण नहीं किया जा सका है।

6. अपयोजित होने वाली वन भूमि को दर्शाते हुए मूल टोपो शीट एवं Geo-referenced नक्शा मौजावार Index के साथ संलग्न किया गया हैं जो वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित है।

7. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा भाग–II की प्रविष्टि में वनों का वानस्पतिक घनत्व 0.1 एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं करने की सूचना अंकित किया गया हैं। परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले जिला पदाधिकारी, नालंदा द्वारा निर्गत FRA, 2006 का प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

8. वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि, राजगीर वन्यप्राणी आश्रयणी एवं इसके इको सेंसेटिव जोन से बाहर है तथा परियोजना क्षेत्र राजगीर वन्यप्राणी आश्रयणी क्षेत्र से लगभग 4 कि०मी० की दूरी पर अवस्थित हैं।

9. परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि (36.04252 हे०) को चिन्हित करते हुए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा नक्शा के साथ उपलब्ध नहीं कराई गयी है। उक्त से संबंधित नक्शा, क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन एवं इसके लिये चिन्हित स्थल का GPS Reading , Suitability Certificate आदि अभी तक प्राप्त नहीं है, जिसे प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दिया जाना है।

10 उक्त से संबंधित प्रतिवेदन पर वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना द्वारा भाग–III की प्रविष्टि में अपनी सहमति संसूचित की गयी है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

11. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।

2. 36.04252 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट वेल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 2,25,62,618/– (रूपये दो करोड पच्चीस लाख बासठ हजार छः सौ अठारह) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

3. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 1108/– रूपयें प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

4. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराये जाने एवं इसका पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के पक्ष में Mutation कराये जाने के उपरान्त भारत सरकार द्वारा स्वीकृति हेतु निर्णय लिया जाएगा।

उपरोक्त शर्तों के साथ स्वीकृति हेतु प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न कर भेजी जा रही। **उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।**

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 269 दिनांक 13/03/2020

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियन्ता, सिंचाई प्रमंडल, बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.3.2020
(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।